सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –   /2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

समंदकंवर पुत्री भूरबाई जाति राजपूत निवासी भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 267 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर कुल 137 रकबा 1. 02 है., खसरा नम्बर 140 रकबा 0.28 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है. भूमि जो कि वादीया के नाम सह खातेदार दर्ज है। वादीया के स्वयं की खातेदार की आराजी है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार केकड़ी का जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत जवाब अनुसार वादवर्णित आराजीयात वादीया के नाम दर्ज होने एवं वादीया की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी वादीया के खातेदारी में दर्ज होने से वाद पत्र का संतुलन वादीया के पक्ष में होने से वादीया का दावा प्रेमापेशाई केस होना पाया जाता है।

अतः वादीया का दावा वाके ग्राम भराई तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 267 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर कुल 137 रकबा 1.02 है., खसरा नम्बर 140 रकबा 0.28 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है. का पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 23.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट भराई में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी